

13/7/24

पत्रावली पेश हुई। शो लोक अदालत
बैंच-09 लालसोट में पेश हुई।
प्रकरण से सम्बन्धित प्रार्थी के
मूलवाड का अखिर रूप से तिरगाण
हो चुका है। वासना के अभाव में
प्रार्थना पत्र दीआई के पत्रार्थ
जाने का कोई औचित्य नहीं
है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
इस स्तर पर खारिजा किया जाता
है। पत्रावली प्रेषण समाप्त हो।



सदस्य
लोक अदालत बैंच
लालसोट, जिला-बीकानेर